

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान जयपुर
क्रमांक:—ई-18/एम/डीपीसी/संस्था0अधि0/एफ-293/2019/
दिनांक:—


आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-18/एम/डीपीसी/सं0अ0/एफ-293/2019/94 दिनांक 12.07.19 के द्वारा राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम 1999 के अन्तर्गत प्रशासनिक अधिकारी से संस्थापन अधिकारी पद पर पदोन्नत निम्नांकित अधिकारियों को उनके नाम सम्मुख अंकित स्थान पर तुरन्त प्रभाव से पदस्थापित किया जाता है।

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान
1	श्री श्यामसुन्दर मोदानी	निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जयपुर	निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जयपुर
2	श्री भौरीलाल बैरवा	निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जयपुर	निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जयपुर
3	श्री ओमप्रकाश जीनगर	संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जोन-अजमेर	निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जयपुर
4	श्री बालकिशन केवल्या	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर	निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जयपुर
5	श्री लोक बहादुर	निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जयपुर	निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जयपुर

उपरोक्त अधिकारी पदोन्नति स्थान पर दिनांक 19.08.19 तक कार्यग्रहण कर लेवें अन्यथा उक्त पदोन्नति आदेश निरस्त समझे जाएंगे।

राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ07(1)/डीओपी/ए-11/95 दिनांक 20.06.2001 एवं दिनांक 19.09.17 के परिप्रेक्ष्य में यदि उपरोक्त कर्मचारियों में से किसी के दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान उत्पन्न हुई हो तो पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे इस आशय का संबंधित कर्मचारी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर ही कार्यग्रहण करवाया जायेगा।


(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राज0 जयपुर


Contd -

2

क्रमांक:-ई-18/एम/डीपीसी/संस्था0अधि0/एफ-293/2019/ 107
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक:- 19/7/19

- 1- विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राज0 जयपुर ।
- 2- विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्यमंत्री महोदय, राज0 जयपुर ।
- 3- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर ।
- 4- उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-3) विभाग, जयपुर ।
- 5- निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, मुख्यालय ।
- 6- अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित), निदेशालय मुख्यालय ।
- 7- संयुक्त निदेशक(प्रशासन), निदेशालय मुख्यालय ।
- 8- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन-अजमेर/जोन-कोटा/जोन-उदयपुर ।
- 9- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर ।
- 10-उप विधि परामर्शी, निदेशालय मुख्यालय ।
- 11-आहरण वितरण अधिकारी, निदेशालय मुख्यालय ।
- 12-संबंधित अधिकारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी ।
- 13-प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त संशोधन आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें ।
- 14-आदेश/रक्षित पत्रावली ।



(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राज0 जयपुर